

## न्यायालय—सिविलजज(सीनियर डिवीजन)बॉदा।

मूलवाद संख्या—17/2021  
सीएनआर नं.युपीबीडी 050000372021  
आर.एन.नो—17/2021

महेश्वरी प्रसाद गुप्ता बनाम मुन्ना गुप्ता आदि

30.08.2022

पत्रावली प्रार्थनापत्र 6ग2 पर आदेश हेतु प्रस्तुत। प्रार्थनापत्र पर पूर्व नियत तिथि पर उभयपक्षों को सुना जा चुका है।

### निस्तारण प्रार्थनापत्र 6ग2:-

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 6ग2 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जाऊदी० प्रस्तुत हुई जिसके माध्यम से प्रार्थी/वादी ने कथन किया है कि वादी विवादित सम्पत्ति का स्वामी, काबिज है। प्रतिवादीगण का विवादित सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं है, परन्तु वादी की सम्पत्ति पर प्रतिवादी सं०-१,२ व ३ जबरिया कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं। नह सम्पत्ति पैतृक है और वादी को हिस्से में मिली है। इसलिये दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं०-१,२ व ३ को रोका जाना आवश्यक है कि वह वादी के स्वामित्व वाले विवादित सम्पत्ति पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में दखलन्दाजी न करें, न ही अवैध कब्जा कर निर्माण करें, न ही वादी को बेदखल करें। इसलिये प्रार्थना की गयी है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं०-१, २ व ३ को रोक दिया जाये कि वह वादी के स्वामित्व वाले विवादित सम्पत्ति पर शान्तिपूर्ण कब्जा दखल में दखलन्दाजी न करें, न ही अवैध कब्जा कर निर्माण करें, न ही वादी को बेदखल करें। समर्थन में शपथपत्र 7ग2 दाखिल किया है।

वादी की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य में सूची ७ग1 से १०ग1 रसीद हाउस टैक्स चुन्नीलाल, ११ग1 बंटवारे की प्रति व आधार कार्ड की फोटो प्रति दाखिल किया है।

प्रार्थनापत्र 6ग2 पर प्रतिवादीगण सं०- १ ता ४ ने अपनी आपत्ति २६ग2 भय शपथपत्र २७ग2 के माध्यम से प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि वह प्रतिवादी सं०-१ है तथा उसे मुकदमा के तथ्यों की पूर्ण जानकारी है। वादी ने गलत असत्य एवं बनावटी तथ्य लिखकर वर्तमान वाद प्रस्तुत किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण का परिवार मूलतः ग्राम अतरहट वर्तमान परगना पैलानी जिला बांदा का मूल निवासी है। ग्राम अतरहट में वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवार में दो पैतृक बड़े-बड़े मकान में पैतृक रह रहे हैं। प्रतिवादी सं०-१ ने उद्घम करके तथा पिता श्री चुन्नीलाल गुप्ता के साथ मुहल्ला स्वराज कालोनी में ५० फीट पूर्ब-पश्चिम तथा ४० फीट उत्तर-दक्षिण भूमि लिखा था जिसके क्षुछ समय बाद मकान का निर्माण कराया। प्रतिवादी सं०-१ के भाईयों का परिवार बढ़ने पर अर्सा करीब १५ वर्ष पूर्व सम्पत्ति का आपसी पारिवारिक समझौता हुआ जिस पर वादी जो ग्राम अतरहट में रहता है, ने गांव के मकानों को लिया। प्रतिवादी सं०-४ कामता व रामेश्वर ने पैतृक चल सम्पत्ति लिया जिस पर स्वराज कालोनी स्थित भूमि को १२-१२ फीट

पूरब-पश्चिम पर बना मकान कामता व रामेश्वर को मिला था उसे स्वराज कालोनी शहर बांदा स्थित मकान का 25 फीट पूरब-पश्चिम भाग मिला। प्रतिवादीगण तथा प्रतिवादी सं0-5 रामेश्वर अष्ट-अपने हिस्से के मकानात का अपनी-अपनी सुविधानुसार मकानों का निर्माण कराकर अपने-अपने हिस्से के मकानों पर बहैसियत तनहा मालिक काबिज छले आ रहे हैं। वादी कभी भी प्रश्नगत मकान पर नहीं रहा तथा कथित विवादित मकान का कब्जा दखल वर्तमान मुकदमा दायर करने के पूर्व से नहीं है। इस सम्बंध में वादी का कथन पूर्णतः असत्य, बनावटी एवं निराधार है। वादपत्र में वादी ने अपना पता स्वराज कालोनी गली नं0-8 गलत ष असत्य लिखा है। वादी ने तीनों भाइयों की एक-एक फीट जमीन कब्जा करके निर्माण कराने का बनावटी एवं अविश्वसनीय कथन किया है। वादी का कथन विबन्धन ऐं मौन सहमति से बाधित है। स्वराज कालोनी शहर बांदा का मकान कतई गिरा नहीं है, बल्कि उसने व प्रतिवादी सं0-5 ने अपनी-अपनी सुविधानुसार अपने हिस्से के मकानों का निर्माण करवाया है। कथित दरवाजा क, ख काफी अर्सा पुराना है तथा कथित विवादित सम्पत्ति कब्जा व निस्तार प्रतिवादी सं0-1,2,3 है। कथित विवादित सम्पत्ति पर वादी का कोई हिस्सा नहीं है तथा वादी के कब्जा व निस्तार में नहीं है, इसलिये दावा वादी किसी भी दशा में पोषणीय नहीं है। दावा वादी धारा-34 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। वादी जो ग्राम अतरहट में रहता है, ने जानबूझकर दुर्भावनावश असत्य व गलत लिखकर अवैधानिक लाभ लेने व उत्तोरदातागण को परेशान करने के लिये वर्तमान वाद दायर किया है। वादी ने प्रतिवादी सं0-4 व 5 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है इसलिये वाद में अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने का दोष है। वादी ने स्वच्छ हाथों से मुकदमा प्रस्तुत नहीं किया है वादी का कोई प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है। सुविधा का सन्तुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादी कोई भी व्यादेश पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अस्थायी व्यादेश का प्रार्थनापत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य कहा है।

प्रतिवादी सं0-5 की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

पत्रावली पर अमीन रिपोर्ट कागज संख्या 30ग2 दाखिल की गई है;

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

किसी भी वाद में अस्थायी व्यादेश दौरान वाद प्राप्त करने के लिये न्यायालय में निम्न तीन अवययों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है जो निम्नवत् हैं:-

### 1.प्रथमदृष्ट्या केस

### 2.सुविधा का संतुलन

### 3.अपर्णीय क्षति

वादी द्वारा कहा गया है कि वह विवादित सम्पत्ति का स्वामी है व काबिज है। उक्त सम्पत्ति पर प्रतिवादी सं0-1, 2 व 3 जबरिया कब्जा कर निर्माण करना चाहते हैं। विवादित सम्पत्ति पैतृक है, जो वादी के हिस्से में मिली है। प्रतिवादीगण 1

ता 4 द्वारा यह कहा गया है कि उनका परिवार मूलतः ग्राम अतरहट परगना पैलानी का मूल निवासी है। करीब 15 वर्ष पूर्व सम्पत्ति का आपसी पारिवारिक समझौता हुआ जिसमें वादी ने ग्राम अतरहट के मकानों को लिया। प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से के मकानात व अपनी-अपनी सुविधा अनुसार मकानों का निर्माण कराया और अपने हिस्से के मकानों पर बहौसियत तनहा मालिक काबिज चले आ रहे हैं। वादी कभी भी प्रश्नगत मकान पर नहीं रहा तथा विवादित मकान का कब्जा दखल वर्तमान मुकदमा दायर करने के पूर्व से नहीं है। विवादित सम्पत्ति पर वादी का कोई हिस्सा न होना कहा गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अमीन रिपोर्ट कागज संख्या-30ग2/1 लगायत 30ग2/4 मय नवशा नजरी में यह अंकित है कि विवादित स्थल को नवशा में क ख ग घ अक्षरों से दर्शाया गया है जिसमें क, ख, फ, प स्थल में कगरा पक्का पुराना 15 फिट 6 इंच चौड़ा बना है, जो गहरा हैं प से घ तक रामेश्वर के मकान की दीवाले है तथा फ से ग तक मुन्ना के मकान की दीवाल है जिसमें डी१ स्थान में दरवाजा लोहे का पल्लों सहित लगा है, जो पुराना है तथा विवादित स्थल खुलता है तथा क, ख, फ, प स्थल में बने कमरा में ख, ग, भ ज में लगा दरवाजा छत में खुलता है। घ भुजा में नीचे बीमें भरी है जिसमें घ से ज तक दो पिलर भरे हैं तथा डी२ स्थान में लोहे का दरवाजा पल्लों सहित फंसा है। अगल-बगल कोई सपोर्ट नहीं है तथा च, छ, ज, घ स्थल में घ, भ ज को छोड़कर चार पिलर भरे हैं जिनकी छड़े निकली हैं तथा टी स्थान में टैंक बना है। मुन्ना के मकान से दो पाइप नीचे से टैंक में पड़े हैं, शेष स्थल खाली भूमि है। उक्त निर्माण नया है, जिसे मुन्ना के द्वारा कराया गया है तथा डी स्थान में लगे दरवाजे के ताले को खोलकर मुन्ना ने निरीक्षण कराया। वादी ने विवादित स्थल को अपना हिस्सा बताया।

पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०-११ग रसीद पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से वादी व प्रतिवादीगण के पिता द्वारा विवादित सम्पत्ति का बंदरारा उनके बीच किया जाना प्रकट होता है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने-अपने हिस्से पर काबिज होना कहा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में उभी साक्ष्य आना शेष है। पत्रावली पर उपलब्ध अमीन रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि विवादित परिसर में निर्माण नया है, लिहाजा न्यायालय के मत में उपरोक्त मामले में विवादित स्थल को संरक्षित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस स्तर पर वादी का प्रथम दृष्ट्या वाद परिलक्षित होता है। जहां तक सुविधा के सन्तुलन का प्रश्न है वह इस स्तर पर वादी के पक्ष में है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विवादित स्थल की नवइयत संरक्षित किया जाना आवश्यक है, जिससे किसी पक्ष को कोई अपूर्णनीय क्षति न हो। अतः उभयपक्षों को विवादित स्थल पर यथारिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रार्थनापत्र ६ग2 इस प्रकार निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ६ग-२ इस प्रकार निरस्तारित किया जाता है,  
उभयपक्षों को आदेशित किया जाता है कि वे दौरान वाद विवादित सम्पत्ति  
पर यथास्थिति बनाये रखेंगे।

पत्रावली वास्ते वादबिन्दु विरचन हेतु दिनांक 21.09.2022 को पेश हो।

  
(अज्ञा कर्मचारी) १८/२२

सिविल जज(सीनियर डिवीजन), बॉदा।  
जेओ कोड नंबर—यू.पी.1775